

100

8⁵/₂₄ पत्तावली पेश हुई। वकील उमरपट्ट उपस्थित।
 वकील जामी ने रजिस्टर्ड जामील रसीद देहा की।
 अग्रणी सेख्या। की ओर से हा. सो. न. ग. ल. ऑफिसरी
 ने व. सो. न. ग. ल. पेश किया। पत्तावली जामील आदेश
 एक अबाब न. 1 आवेदन दिनांक 27/5/24 को दे हा
 हा

8⁷/₂₄ पत्तावली पेश हुई। वकील वादी/उमरपट्ट
 हा. सो. न. ग. ल. अधिकारी चुनाव/अन्य काय
 में व्यस्त है। पत्तावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक... 18/7/24... को पेश हो 2

8⁷/₂₄ पत्तावली पेश हुई। वकील उमरपट्ट उपस्थित।
 अग्रणी सेख्या 2 व 3 की विद्यमान रजिस्टर्ड जामील के एकमात्र
 आवेदन श्री भागलपुर के हाजीर नही बरत रजक खिलाफ
 एकतरफा कार्यवाही हमल के जारी जारी है। अग्रणी सेख्या
 1 के वकील ने अबाब आवेदन पेश किया। पत्तावली वाले
 बहम दिनांक 18/7/24 को पेश है।

18⁷/₂₄ पत्तावली पेश हुई। वकील उमरपट्ट उपस्थित।
 पत्तावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/7/24 को पेश
 है।

24²/₂₄ पत्तावली पेश हुई। वकील वादी/उमरपट्ट
 हा. सो. न. ग. ल. अधिकारी चुनाव/अन्य काय
 में व्यस्त है। पत्तावली पूर्व आदेशानुसार
 दिनांक... 30/7/24... को पेश हो 2

30⁷/₂₄ पत्तावली पेश हुई। वकील उमरपट्ट उपस्थित। वकील जामील ने दोपहर
 बहस न. 1 आवेदन पर आवेदन के प्रस्तुत रूपों को पेश करते हुए निवेदन
 किया की विवादित इन्फि भूमि स्वामता नम्बर 1534/135, 1535/135
 1581/10 व 1582/10 वॉर्ड गांव सिंगरावट तहसील चंपेड़ा जिला सीकर के
 अवस्थित है। जिससे जामील 1/2 का आवेदन कारगर है। दिनांक 31/3/24

20/02/22

सहायक कलेक्टर (सिलीय) सीकर
 बनाव नाम भद्र देवी भादि
 गहावीर
 दाया 38/2024
 पालय
 धान
 दमा नं

रु उमर देवि भूमियों की खतेदायी विहायी पुन फतेहचंद
 हिस्सा 1/2, गहावीर पुन फतेहचंद हिस्सा 1/2 जमीन
 उमर भूमि जामील व जामील के अर्ध विहायी की सम्पत्त गहावीर
 पुन देवी विहायी बराबर भी 1/5 भाग देवि भूमियों का वही
 भी वही विहायी व गहावीर बराबर नही जामा जमा भा. ल. वि.
 भा. ल. वि. से जामील व जामील का अर्ध विहायी भी पर उमर
 देवि भूमि का विहायी बराबर 1/2-1/2 रूप में विहायी का
 काहर कले जा रहे है। जामील के भा. ने आवेदन में उमरपट्ट
 देवि भूमि का बहाल किसे सिना ही अग्रणी सेख्या। का
 हिस्सा 1/2 का विहायी दिनांक 01-04-2024 के कर दिया।
 जिसका नामाकरण भी अग्रणी सेख्या। के नाम 01-04-24
 का ही है जमा। दिनांक 1-4-24 का अग्रणी सेख्या।
 व उनके पति द्वारा जामील का अग्रणी सेख्या से गौरी जामील
 भा. ल. वि. के वकील का नही जायेगा। उमरपट्ट देवि भूमि
 जामील 1/2 हिस्से का पहले से खतेदाय कारगर है। अग्रणी-
 जामील केरा है। उमरपट्ट जामील अपने अपने गहावीर व लखेदी
 की देवि भूमि का अर्ध हिस्से एक भाग जामा। गहावीर एक
 गहावीर कारगर को विहायी होने का गहावीर जामील है। इन
 उमरपट्ट देवि भूमि व लखेदी का गहावीर जामील के पूरा व
 सुद्ध है। व अग्रणी सेख्या का गहावीर जामील का ही कारि है। वही
 जामील निर्देशानुसार दिनांक 18/7/24 को पेश किया है।
 जामील के आवेदन पर जामील के अर्ध हिस्से का गौरी पर
 दिखाने हुए निवेदन किया कि उमरपट्ट भूमियों का अर्ध हिस्से एक
 जामील बहाल है रखा है। जामील के अर्ध विहायी हिस्से
 उमरपट्ट बहाल नही करवाया है। जामील के अर्ध विहायी हिस्से
 व गहावीर भूमियों के से अग्रणी 1/2 हिस्सा जामील सेख्या।
 का बहाल कर दिया। जामील के अर्ध विहायी हिस्से के अबाब पर जामील
 सेख्या-1 उमरपट्ट जामील का ही है। उमरपट्ट जामील का उमरपट्ट
 का गहावीर सुद्ध नही है। उमरपट्ट का गहावीर जामील के पूरा व
 नही है व अग्रणी सेख्या का भी जामील का नही है रखा है। उमरपट्ट
 आवेदन जमा होने के बाद उमरपट्ट जामील जामील पर जामील
 जामील वकील उमरपट्ट जामील का उमरपट्ट जामील जामील
 जामील जामील से स्पष्ट है कि उमरपट्ट देवि भूमि स्वामता नम्बर
 1534/135, 1535/135, 1581/10 व 1582/10 वॉर्ड गांव सिंगरावट
 तहसील चंपेड़ा जिला सीकर के अवस्थित है। जिससे जामील 1/2 हिस्से
 हिस्से का खतेदाय कारगर है। जामील के भा. ने आवेदन देवि भूमि
 के अबाब एक हिस्सा 1/2 जामील सेख्या। का विहायी कर दिया।
 विहायी देवि भूमि का जामील व जामील के भा. के अबाब बहाल

कलेक्टर (सिलीय)

मे. भा. स. स.

विभाजन हो रहा है। लेकिन वार्ड निस एण्ड वाउण्डस बटवारा
नहीं कब्जा हुआ है। इन्हें वृद्धि भूमि में पानी पहले
से खातेदार काश्तकार है। जबकि अजबगी सेव्या। अजबगी
केला है। इसी कारण उन्नत दुर्घमा का प्राप्ति पानी के पहा
में सुदृढ है। लुकिचा का सेतुलन भी पानी के पहा में है।
और अक्षरणीय वृत्ति भी पानी का ही होगी। इसलिए
न्यायालय पानी के आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act
का स्वीकार कला -यापेचित समझला है।

अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT Act
स्वीकार किया जाता है। विवादित वृद्धि भूमि खसरा नम्बर
1534/135, 1535/85, 1581/10 तथा 1582/10 का ऊँगा
सिंघरावट तहसील धोप जिला सीकर में उन्नयपत्रकारन
का लक्ष्यमान दावा / बलवाद के निस्तारण तक राजस्थान
की अध्यात्मिकता बनाये रखने हेतु स्वामी विधेयाज्ञ से
पाँवप किया जाता है। पत्रावली फौजल शुभ्राट होकर
नम्बर से कम है। दारखिल फल्टर है।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
यह फैसला आज दिनांक 30/7/14 को मेरे द्वारा खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर